फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामेश्वर बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 128 एल.आर.ए. मु0नं0– 93/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.ए. हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि वाके रामा पांचोली तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि वाके रामा पांचोली तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जिसके खाता संख्या 571 नया व पुराना 526 के आराजी खसरा नंबर 1180/152 रकबा 0.2088 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.2088 है0 है जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिस पर प्रार्थी का कब्जकाश्त कर मुस्तफिद फायदे उठाता चला आ रहा है। दिनांक 04.07.2025 को तहसीलदार सिकराय के आदेश क्रमांक भू0अ0/2025/2327 दिनांक 26.06.2025 की पालना में गठित टीम द्वारा किया जा चुका है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा रख है किन्तु उक्त भूमि के सीमाचिन्हो को जानवरो एवं बरसात की वजह से उक्त सीमाचिन्ह नष्ट हो चुके है। जिसके कारण पडौसी खातेदार द्वारा सीमाचिन्हों के नष्ट होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने आमादा रहते है। उक्त खेत के पूर्व में चारो ओर लगी हुई सीमा चिन्ह वर्षात के कारण एवं जंगली जानवरो के कारण हटा दी गयी जिससे उक्त खेत में पैदा होने वाली फसल की सुरक्षा जंगली जानवरो से नहीं हो पा रही है। एवं पडौसी खातेदारान द्वारा प्रार्थी की भूमि में अवैध रूप से प्रवेश करने पर आमादा रहते है जिससे विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किए जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण मे जवाब तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा पत्रांक भू0अ0/पत्थ./2025/2759 दिनांक 17.10.2025 द्वारा जवाब पेश किया गया। जवाब स्टेट एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका विधिवत सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थी अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पांचाली तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नंबर 1180/152 रकबा 0.2088 है0 पर पत्थरगढी कायम करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	